न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 68/2013/राजस्व वाद

उनवान

1. रामचन्दर पि. कंवरलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा
2. गोपाल पि. कंवरलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

– वादीगण

बनाम

1. मृतक – भूलीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा के बजाय

1/1 पूरीलाल पुत्र भूलीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

2. मृतक – नन्दूबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा के बजाय

2/1 मृतक मांगीलाल पुत्र नन्दूबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा के बजाय

2/1/1 रामेश्वर पि. मांगीलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

2/1/2 रामनिवास पि. मांगीलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

3. मृतक – भंवरीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा के बजाय

3/1 रामचन्दर पुत्र भंवरीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

3/2 रामलाल पुत्र भंवरीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

4. मृतक – धापूबाई जाति माली नि.सुनेल तहसील सुनेल के बजाय

4/1 रमेश पुत्र धापूबाई जाति माली नि.सुनेल तहसील सुनेल

4/2 जगदीश पुत्र धापूबाई जाति माली नि. सुनेल तहसील सुनेल

5. धन्नीबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि. सुनेल तहसील सुनेल
6. कंकूबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि. भानपुरा तहसील भानपुरा
7. चन्द्राबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा
8. धापूबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि. सोयत तहसील सुसनेर
9. गुडडीबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 91 , [illegible] , 2[illegible] [illegible].टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री प्रेमचन्द चौधरी

वकील प्रतिवादीगण – श्री हुकु[illegible]

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.02.14 10:36:21 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2021

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with Oken Scanner

(9)

निर्णय दिनांक : 11/02/2022

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम अमीरपुरा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 259 रकबा 8 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 91, 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण 5 लगायत 9 के पिता कंवरलाल के खाते की भूमि है। उक्त आराजी के साबिक ख.नं. 234/1/2/3 रकबा 8 बिस्वा है। जमाबंदी सं. 2021–22 में दर्ज ख.नं. 234/1/2/3 से सेटलमेंट में वर्तमान नया ख.नं. 259 बना है। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत अनुसार वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्से का वादी नं. 2 खातेदार टीनेन्ट है एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि के वादीगण खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है। वादीगण के पिता कंवरलाल पि. मन्नाजी ने दि. 11.07.1960 को अन्य आराजियात के साथ साबिक ख.नं. 234/1/2/3 रकबा 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्री खातेदार हीराबाई बेवा सेवाजी के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। दि. 11.07.1960 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई अन्य आराजियात वादीगण के पिता कंवरलाल के नाम दर्ज हो गई परन्तु ख.नं. 234/1/2/3 रकबा 8 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता कंवरलाल के तन्हा खातेदारी दर्ज नहीं कर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की माता हीराबाई के साथ शामलाती दर्ज कर दी जबकि हीराबाई वादग्रस्त आराजी का समस्त रकबा 8 बिस्वा दिनांक 11.07.1960 को बेचान कर चूकी थी। वादीगण के पिता कंवरलालजी ने वादग्रस्त आराजी ख.नं. 259 की 4 बिस्वा भूमि की वसीयत वादी सं. 2 के पक्ष में की जो दि. 09.04.2013 को वसीयत अनुसार वादी सं. 2 के खातेदारी में दर्ज हुआ। परन्तु दिनांक 07.05.2013 को नामा.सं. 353 से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज किये गये जो कि अवैध व शून्य है। इस प्रकार ख.नं. 259 रकबा 8 बिस्वा भूमि के 1/2 भाग वादी सं. 2 के खाते एवं 1/2 भाग वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त कराने के वादीगण हकदार है। वाद कारण दिनांक 10.06.2013 को तब उत्पन्न हुआ प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी में अपना नाम कम कराने से इंकार हो गये।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम अमीरपुरा की आराजी ख.नं. 259 रकबा 8 बिस्वा के 1/2 भाग अर्थात 4 बिस्वा का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया

COURT 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.02.14 10:36:21 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़

Scanned with Oken Scanner

जावे। वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी सं. 2066–69 की नकल , रजिस्टर्ड बयनामा दि. 11.07.1960 की प्रति पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दौराने वाद उभय पक्षकारान द्वारा दिनांक 27.01.2022 एवं दिनांक 01.02.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी राजीनामा पत्र प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई।

वाद पत्र, राजस्व रिकार्ड व आपसी राजीनामा पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम अमीरपुरा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 259 रकबा 8 बिस्वा भूमि जमाबंदी सं. 2066–69 के खाता सं. 10 के अनुसार कंवरलाल पि. मन्ना एवं हीराबाई बेवा सेवा माली के खातेदारी की थी। दिनांक 11.07.1960 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्य आराजियात के साथ ख.नं. 234/1/2/3 रकबा 8 बिस्वा भूमि को हीराबाई बेवा सेवा माली द्वारा कंवरलाल पि. मन्ना माली को बेचान किया था। इस प्रकार बेचान के बाद वादग्रस्त आराजी में हीराबाई को कोई संबंध व सरोकार नहीं बचा। उभयपक्षकारान द्वारा दिनांक 27.01.2022 एवं दिनांक 01.02.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत आपसी राजीनामा पत्र अनुसार वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई विवाद नहीं होना दर्शाकर वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम अमीरपुरा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 259 रकबा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी धापूबाई , नन्दूबाई , भूलीबाई , भंवरीबाई पिसरान सेवा का नाम कम करके उनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (seal)

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.02.14 10:36:22 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2021

Scanned with Oken Scanner

(11)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 68/2013/राजस्व वाद

उनवान

1. रामचन्दर पि. कंवरलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा
2. गोपाल पि. कंवरलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

– वादीगण

बनाम

1. मृतक – भूलीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा के बजाय

1/1 पूरीलाल पुत्र भूलीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

2. मृतक – नन्दूबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा के बजाय

2/1 मृतक मांगीलाल पुत्र नन्दूबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा के बजाय

2/1/1 रामेश्वर पि. मांगीलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

2/1/2 रामनिवास पि. मांगीलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

3. मृतक – भंवरीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा के बजाय

3/1 रामचन्दर पुत्र भंवरीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

3/2 रामलाल पुत्र भंवरीबाई जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा

4. मृतक – धापूबाई जाति माली नि.सुनेल तहसील सुनेल के बजाय

4/1 रमेश पुत्र धापूबाई जाति माली नि.सुनेल तहसील सुनेल

4/2 जगदीश पुत्र धापूबाई जाति माली नि. सुनेल तहसील सुनेल

5. धन्नीबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि. सुनेल तहसील सुनेल
6. कंकूबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि. भानपुरा तहसील भानपुरा
7. चन्द्राबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा
8. धापूबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि. सोयत तहसील सुसनेर
9. गुडडीबाई पुत्री कंवरलाल जाति माली नि.पिडावा तहसील पिडावा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.02.14 10:36:21 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2021

Scanned with Oken Scanner

(12)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री प्रेमचन्द चौधरी

वकील प्रतिवादीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम अमीरपुरा तहसील पिडावा की आराजी ख.नं. 259 रकबा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी धापूबाई, नन्दूबाई, भूलीबाई, भंवरीबाई पिसरान सेवा का नाम कम करके उनके स्थान पर वादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/02/2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.02.14 10:36:21 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2021

Scanned with Oken Scanner